अदम/विशेष

PV

राजस्व ... रजिस्टर

जनरल ... रजिस्टर ... 29 ...

न्यायालय ... जौनिपा ...

2023/158

क्रम मुकदमा	... मुकदमा	... दायर	...	... दिनांक
1	2	3	4	5
183-188 वाद पत्र	25/23	8/5/23	15/4/25 21/4/25 (Adv. में) 07/5/25	11/9/24 24/9/24 10/10/24 22/10/24 12/11/24 26/11/24 19/12/24 16/1/2... ~~27/1/2...~~ 28/1/25 ~~13/2/2...~~ 11/2/2... 25/2/2... 6/3/2... 24/3... 3/4/...

7/5/25

डिक्री

निर्णय में

अनदा...

अनिता पुत्री शंकरलाल ... चांदी देवी पत्नि गि...

तिलरवां ... तिलरवां

अधिवक्ता वादी / पार्थी /अपील...

...

श्री सुशील जोशी ... प्रदीप कुमार म...

(A11)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्र० उपस्थित श्रीमान P.O या दौरे पर है। पत्रावली दिनांक को वास्ते पेश हो। उप न्याय अधिकारी
6/3/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 24/3/25 को पेश हो
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस आगामी दिनांक 3/4/25 को पेश हो।
3/4/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस आगामी दिनांक 15/4/25 को पेश हो। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेज संलग्न पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस/निर्णय (दस्तावेज) आगामी दिनांक 15/4/25 को पेश हो
15/4/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस आगामी दिनांक 21/4/25 को पेश हो
21/4/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. दौरे पर है। पत्रावली [illegible] 2/5/25 को निर्णय/बहस पेश हो। उप न्याय अधिकारी

(103)

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

सरिता बनाम चांदी

किस्म मुकदमा धारा 183-188 RTA प्रकरण संख्या 25/

GCMS नम्बरः– 2023/158

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
07/5/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली में विस्तृत पृथक से (निर्णय) से लिखवाया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर, फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) **उप खण्ड अधिकारी** **बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा**	

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी–श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 25/2023 **दायर तारीख 08.05.2023**

अनवान्

1. नाबालिक अनिता पुत्री शंकरलाल जरिये संरक्षक माता कान्ता देवी अहीर जाति अहीर निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.......वादीया।

बनाम्

1. चांदी देवी पत्नि गिरधर गोपाल अहीर उम्र वयस्क जाति अहीर निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

........प्रतिवादीया।

उपस्थित :– 1. श्री सुनील कुमार जोशी– अधिवक्ता वादीया।
2. श्री प्रदीप कुमार मीणा – अधिवक्ता प्रतिवादीया।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :07/05/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता श्री सुनील कुमार जोशी वादपत्र **अर्न्तगत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीया इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया की कृषि भूमि ग्राम तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां भू.अ. ने.क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 305 में अंकित खसरा संख्या 349/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व खसरा संख्या 845/352 रकबा 0.0405 हैक्टेयर कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 0.8499 हैक्टेयर भूमि की वादीया खातेदार काश्तकार होकर उनके उपयोग उपभोग में चली आ रही है तथा वादीया वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं लगान राज्य सरकार में जमा करवाते आ रहे हैं।

उक्त खसरे पर प्रतिवादिया ने जबरन अनाधिकृत प्रवेश करना प्रांरभ कर दिया वादिया द्वारा विरोध करने पर प्रतिवादिया ने कहा कि तुम अपनी आराजीयात पर पत्थरगढ़ी करवा लो हमारा कब्जा नाजायज निकला तो हम कब्जा छोड़ देगें ।वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादिया का कोई हक अधिकार निहीत नहीं है। वादीया ने वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीया को रहन या विकय नहीं की है परन्तु प्रतिवादीया हकाई बुआई करते समय लड़ाई–झगड़ा मारपीट करने पर उतारू रहते हैं। प्रतिवादीया झगडालू प्रवृति के की है जब वादीया उक्त खसरे पर काश्त करने गये तो वादीया को वादग्रस्त आराजी पर काश्त नहीं करने दी एवं लड़ाई–झगड़ा करने व मारपीट करने पर उतारू हो गये व धमकी दी की तुम्हे फसल काश्त नहीं करने देगें।

प्रतिवादीया के कृत्य से परेशान होकर वादीया ने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय बिजौलियां के आदेशानुसार प्रंकरण संख्या 292/2022 दिनांक 29.11.2023 व श्रीमान् तहसीलदार साहब के आदेशानुसार कमांक/भु–रा/2023/425 दिनांक 28.04.2023 की पालना में दिनांक 14.04.2023 को मय पटवारी,भू.अभि.निरिक्षक पत्थरगढ़ी करवायी तो पाया कि वादीया की उक्त वर्णित आराजियात के पर प्रतिवादिया ने नाजायज कब्जा कर रखा है पाया गया। जबकि वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादिया का कोई हक अधिकार नहीं होकर केवल अतिकमी है। वादिया ने प्रतिवादिया से कब्जा छोड़ने को दिनांक 19.04.2023 को कहा तो प्रतिवादिया ने ईनकार कर दिया व लड़ाई करने लग गई। इसलिये मजबुरन वादिया को प्रतिवादिया के विरूद्ध यह बेदखली का वाद पेश करना पड़ रहा है। वादिया अनुतोष चाहती है कि:–

लगातार पेज नम्बर 02 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार
मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी–श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 25/2023 **दायर तारीख 08.05.2023**

अनवान्

1. नाबालिक अनिता पुत्री शंकरलाल जरिये संरक्षक माता कान्ता देवी अहीर जाति अहीर निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

........डिक्रीदार।

बनाम्

01. चांदी देवी पत्नि गिरधर गोपाल अहीर उम्र वयस्क जाति अहीर निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.......मदयून।

–:उपस्थित :–

1. श्री सुनील कुमार जोशी– .... अधिवक्ता डिक्रीदार।
2. श्री प्रदीप कुमार मीणा – ....अधिवक्ता मदयून।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

डिक्री दिनांक 07/05/**2025**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान श्री सुनील कुमार जोशी अधिवक्ता वादीया एवं अधिवक्ता विपक्षी प्रदीप मीणा उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि:–

वादपत्र वादीया अन्तर्गत **धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार** कर बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीया डिक्री करने के आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां भू.अ.नि.क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 305 में अंकित खसरा संख्या 349/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व खसरा संख्या 845/352 रकबा 0.0405 हैक्टेयर कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 0.8499 हैक्टेयर जिस पर विपक्षी चांदी देवी पत्नि गिरधर गोपाल अहीर का कब्जा है उस पर से चांदी देवी पत्नि गिरधर गोपाल अहीर को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीया नाबालिक अनिता पुत्री शंकरलाल जरिये संरक्षक माता कान्ता अहीर को सिपुर्द किया जावें। साथ ही प्रतिवादिया को निर्देशित किया जाता है कब्जा सिपुर्द करने के पश्चात् वादग्रस्थ खसरे पर दखलअन्दाजी ना करें न ही किसी अन्य से करावें। विवादित आराजी से वादीया को पुनः बेदखल ना करें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीया दी जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की गई।

नीज ....Nil..............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह वर्ष 2025 को जारी किया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां